भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2229

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 दिसंबर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

झारखंड में कंपनियों द्वारा खर्च की गई सीएसआर निधियां

2229. श्री मनीष जायसवाल:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड में कंपनियों द्वारा जिला-वार कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कुल कितनी निधि व्यय की गई है;
(ख) झारखंड में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और अन्य जिलों में अलग-अलग खर्च की गई राशि सहित कुल सीएसआर व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कंपनियों ने हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में सीएसआर कार्यकलापों के लिए विशेष रूप से निधि आवंटित की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में किन-किन कंपनियों ने सीएसआर कार्यकलाप शुरू किया है और प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है तथा उनका सीएसआर बजट कुल कितना है; और
(च) भौगोलिक रूप से हजारीबाग और रामगढ़ जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में स्थित कंपनियों की सूची क्या है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उनके कुल सीएसआर बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, यह सुनिश्चित करेगी कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय करे। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में सालाना सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, कंपनियों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए झारखंड में जिलावार कुल सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

जारी......2/-

(ख): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, झारखंड में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए कंपनियों द्वारा आकांक्षी जिला-वार और आकांक्षी जिला-वार के अतिरिक्त कुल सीएसआर व्यय अनुलग्नक-II पर संलग्न है।

(ग) से (च): कंपनी अधिनियम, **2013** के अंतर्गत सीएसआर निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनियों द्वारा एमसीए**21** रजिस्ट्री में कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार सहित दायर सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े **www.csr.gov.in** पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, कंपनियों (पीएसयू और गैर-पीएसयू सहित) द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिले में किए गए सीएसआर व्यय को अनुलग्नक-I में दी गई सूचना में शामिल किया गया है।

****

अनुलग्नक- I

दिनांक 09.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2229 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

झारखंड में वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक जिलेवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रु. में)				
क्र.सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	बोकारो	1.04	20.19	17.73
2	चतरा	0.21	4.61	2.65
3	देवघर	0.11	4.54	1.56
4	धनबाद	6.64	9.87	17.27
5	दुमका	4.09	7.58	10.78
6	पूर्वी सिंहभूम	12.30	24.13	103.09
7	गढ़वा	0.11	0.33	0.34
8	गिरिडीह	1.53	4.19	4.10
9	गोड्डा	2.70	8.22	18.89
10	गुमला	0.26	1.84	2.03
11	हजारीबाग	3.55	7.98	6.54
12	जामताड़ा	0.05	1.03	6.28
13	खूंटी	3.37	-	-
14	कोडरमा	0.74	2.53	5.14
15	लातेहार	-	3.26	3.66
16	लोहरदगा	-	1.29	4.80
17	पाकुड़	0.50	2.02	1.62
18	पलामू	0.01	5.19	5.24
19	रामगढ़	2.75	0.05	-
20	रांची	13.42	51.79	67.22
21	साहेबगंज	0.18	0.60	2.86
22	सरायकेला खरसावां	2.55	5.23	18.20
23	सिमडेगा	0.96	4.25	3.43
24	पश्चिमी सिंहभूम	4.67	5.81	7.59
25	एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं)/उल्लेख नहीं किया गया*	164.81	16.78	77.09
	कुल	**226.54**	**193.33**	**388.13**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो जिलों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक जिलों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

****

अनुलग्नक- II

दिनांक 09.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2229 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

(क) झारखंड में वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक आकांक्षी जिलेवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रु. में)				
क्र.सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	बोकारो	1.04	20.19	17.73
2	चतरा	0.21	4.61	2.65
3	दुमका	4.09	7.58	10.78
4	पूर्वी सिंहभूम	12.30	24.13	103.09
5	गढ़वा	0.11	0.33	0.34
6	गिरिडीह	1.53	4.19	4.10
7	गोड्डा	2.70	8.22	18.89
8	गुमला	0.26	1.84	2.03
9	हजारीबाग	3.55	7.98	6.54
10	खूंटी	3.37	-	-
11	लातेहार	-	3.26	3.66
12	लोहरदगा	-	1.29	4.80
13	पाकुड़	0.50	2.02	1.62
14	पलामू	0.01	5.19	5.24
15	रामगढ़	2.75	0.05	-
16	रांची	13.42	51.79	67.22
17	साहेबगंज	0.18	0.60	2.86
18	सिमडेगा	0.96	4.25	3.43
19	पश्चिमी सिंहभूम	4.67	5.81	7.59
	कुल	**51.65**	**153.35**	**262.58**
(ख) वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक झारखंड में आकांक्षी जिलेवार के अतिरिक्त सीएसआर व्यय				
क्र.सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	देवघर	0.11	4.54	1.56
2	धनबाद	6.64	9.87	17.27
3	जामताड़ा	0.05	1.03	6.28
4	कोडरमा	0.74	2.53	5.14
5	सरायकेला खरसावां	2.55	5.23	18.20
6	एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं/उल्लेख नहीं किया गया) *	164.81	16.78	77.09
	कुल	**174.89**	**39.98**	**125.55**
	कुल योग (क) + (ख)	**226.54**	**193.33**	**388.13**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो जिलों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक जिलों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

****